

कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के प्रति असमानता की स्थिति का अध्ययन

डॉ. गीता मीणा*

प्रस्तावना

महिलाएँ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों में अपनी भागीदारी रखती हैं जैसे घर के घरेलू कार्य करना कृषि में कृषि कार्यों में योगदान देकर फसल को अच्छा बनाकर आय बढ़ाने में मदद करना। अल्फा मिर्डज तथा वयोला क्लयान (1875) ने अपनी किताब वीमेन टु रोल्स में लिखा है कि समाज में कार्य का विवरण लैंगिक आधार पर हुआ है, भारत देश में पुरुष प्रधान समाज में पुरुष अपने अहं सम्मान एवं महिलाओं की उन्नति के कारण पुरुष महिलाओं को शोषण एवं उत्पीड़न का शिकार बनाते रहे हैं। पुरुष महिलाओं को अपनी जड़श्वरदि गुलाम बनाये रखना चाहता है। महिलाओं की आजादी उसके पुरुषवादी अहं को चुनौती देती है।

आज के युग में महिला आधुनिकीकरण में परम्परावादी विचारों एवं मान्यताओं को छोड़कर नवीन विचारों, मूल्यों समानता, प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रतावादी सोच विवेक पूर्ण दृष्टिकोण, समान लैंगिक विचारधारों की प्रवृत्ति के आधार पर जीवन के विकल्प को चुनने में सक्षम है।

वर्तमान परिपेक्ष्य में भारत देश में परिवर्तन एवं विकास की प्रक्रिया से भारतीय महिला के प्रति समाज में रूढ़िवादी सोच में परिवर्तन हुआ है संवैधानिक तौर पर प्राप्त अधिकारों के प्रति महिलाओं में जागरूक एवं संगठित होने लगी। वर्तमान युग में महिलाएँ अधिकाधिक संख्या में आर्थिक रूप में सक्षम होने लगी। व्यवसायों एवं विभिन्न विषयों में रुचि लेने लगी है। जिससे महिलाओं में श्रम भागीदारी के साथ, आर्थिक सक्षमता एवं आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता में बढ़ोतरी हुई है।

कार्यस्थल पर लिंग, लैंगिकता आयु विकलांगता, सामाजिक आर्थिक स्थिति, धर्म, ऊँचाई, वजन, उच्चारण या जातीयता के आधार पर लोगों के साथ असमान व्यवहार होता है। सामाजिक असमानता की पाँच प्रणालियाँ या प्रकार सामान्य तौर पर देखे जाते हैं धन असमानता, उपचार और जिम्मेदारी असमानता, राजनीतिक असमानता, जीवन असमानता और सदस्यता असमानता।

कार्यस्थल समाज का एक अभिन्न अंग है, जहाँ महिलाएँ एवं पुरुष दोनों ही समान रूप से एक साथ कार्य करते हैं। वर्तमान युग में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कार्य के क्षेत्रों में शासकीय एवं अशासकीय संगठित संस्थानों का समावेश है। शासकीय एवं अशासकीय क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक-सामाजिक असमानता विद्यमान है। जिससे महिलाओं के शोषण को बढ़ावा मिलने के कारण संस्थानों अधिकारों एवं सुविधाओं के अवसर कम मिलते हैं जिससे पुरुषों एवं महिलाओं में कार्य स्थल पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से असमानता देखी जाती है।

* सहआचार्य (गृह विज्ञान), राजकीय कन्या महाविद्यालय, टोंक, राजस्थान।

ग्लोबल जेण्डर गैप रिपोर्ट (2021) – विश्व के 183 देशों में भारत को 140वें स्थान पर है, जो देश के स्तर को दर्शाता है, जिसके अन्तर्गत महिलाओं की शैक्षणिक स्तर में 114वें स्थान पर स्वास्थ्य एवं जीविकोपार्जन में 115वें स्थान पर भारतीय महिलाओं की राजनीति भागीदारी में 51वें स्थान पर भारत की स्थिति है।

जेण्डर पे गेप (2020) – भारतीय कार्यश्रम भागीदारी के अनुसार महिलाओं को 18.2 प्रतिशत एवं पुरुषों को 25.7 प्रतिशत वेतन प्राप्त है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं को बहुत कम वेतन प्रदान किया जाता है, जो आर्थिक असमानता को दर्शाता है।

शर्मा, राजेश (2020), भारत में उच्च शिक्षा : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य शोध पत्र में पाया की स्वतंत्र भारत के समय केवल 20 विश्वविद्यालय एवं 500 महाविद्यालय थे जिसके कारण भारत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ था परन्तु समय के परिवर्तन के कारण वर्तमान समय में 993 विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई है, जिससे भारत के शैक्षणिक स्तर में बहुत सुधार हुआ है, उच्च शिक्षा प्रणाली में उत्तम कोटी के पाठ्यक्रम का समावेश किया गया जिसके कारण भारत की शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। वैश्विक स्तर पर भी विश्वविद्यालय का नाम अंकित है।

सिंह, कीर्ति (2018) – जेण्डर संवेदीकरण : शिक्षा की भूमिका शोध-पत्र के अनुसार लिंग संबंधित असमानता कई रूपों में उभर कर सामने आई है जैसे— सामाजिक रूढ़िवादी सोच, घरेलू एवं सामाजिक स्तर पर हिंसा और महिलाओं के साथ दोहपूरण व्यवहार द्वारा ही स्त्री-पुरुष में भेदभाव उत्पन्न किया गया है, भारतीय सामाजिक शिक्षण प्रणाली में महिला शिक्षा को प्राथमिकता देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिससे महिलाओं में मूल्यों का विकास हो सके।

गोस्वामी तुलसी दास द्वारा रचित रामचरित मानस में इस तथ्य की पुष्टि की है कि महिलाओं में अद्वितीय क्षमता पायी जाती है। इन्होंने व्यक्ति, महिला, राजनैतिक शिक्षा, तकनीकी, चिकित्सा इत्यादि सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महिलाओं की परिपूर्ण माया है। विवाह, परिवार, समाज में स्त्री की भिन्न-भिन्न परिस्थितियाँ होती हैं। इन परिस्थितियों से संबंधित भूमिकाओं निर्वाह करना होता है।

मिश्र, दिप्ती (2016), शिक्षित महिलाओं का वैवाहिक समस्या का अध्ययन शोध अध्ययन में पाया गया कि शिक्षित महिलाओं की उनकी शिक्षा एवं कौशल के अनुसार नौकरी नहीं प्राप्त होती है, कार्यस्थलों पर पुरुषों की तुलना में महिलाएँ अधिक शिक्षित हैं। स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा में पुरुषों की तुलना में अधिक बेरोजगार है जिससे देश की महिलाओं में शिक्षा के प्रति निरसता एवं शिक्षण प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है, शिक्षा एवं रोजगार में महिलाओं के प्रति लैंगिक भेदभाव स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।

मैकल लॉरेन्स (2015) – लैंगिक भेदभाव एवं पुरुष नामक पुस्तक द्वारा लैंगिक भेदभाव के माध्यम से महिलाओं की कार्य प्रणाली में असमानता, अर्थव्यवस्था सामाजिक व्यवहारिकता को भी प्रभावित करता है।

मेहरा मधु (2015) – हिंसा और कानून नामक पुस्तक में कार्यस्थलों पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न संबंधित चर्चा पर प्रकाश डालते हुए बताया गया है कि मानव अधिकारों और कानून पर अमल करने के लिए समाज को सुनिश्चित करना होगा कि महिलाएँ समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिसे सुरक्षित एवं संरक्षण प्रदान करना समाज का कर्तव्य है।

कुमावत, श्याम, (2013) – महिला के विरुद्ध असमानता एवं हिंसा शोध में पाया की भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव एवं असमानता बढ़ती जा रही है। परिवार एवं कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति हिंसा के रूप में असमानता को जन्म देती है। जिसके कारण महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य प्रभावित होता है।

अग्रवाल, सत्यशील (2009), भारतीय कामकाजी महिलाओं की समस्याएँ नामक पुस्तक के संदर्भ में घर एवं कार्यस्थलों पर महिलाओं में शारीरिक कमजोरी एवं मानसिक तनाव के कारण उसके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति हानिकारक है जिसके कारण महिलाओं को शोषित

वर्ग में रखा गया। महिलाओं को मासिक धर्म, कमजोरी, गर्भवती होने के दौरान कमजोरी महसूस होना, यात्री माताओं के लिए कोई भी सुविधा नहीं, कार्यस्थलों पर महिलाओं के स्वास्थ्य के संबंध में कोई भी उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण महिलाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

कुलश्रेष्ठ, लक्ष्मीरानी (2003), उच्च शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं की स्थिति : एक अध्ययन शोध में पाया गया कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं को श्रेणीगत आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया जैसे – प्रथम श्रेणी पर पदस्थ महिलाएँ 23.15 प्रतिशत, चतुर्थ श्रेणी पर पद पदस्थ 28.05 प्रतिशत महिलाएँ कार्यरत हैं। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं की तुलना में पुरुष वर्ग अधिक संख्या में कार्यरत है जो लैंगिक असमानता को दर्शाता है।

भारत में महिलाओं के साथ असमानता के मुख्य क्षेत्र –

- **सामाजिक क्षेत्र**

- महिलाओं को घरेलू कामों के लिए अच्छा माना जाता है।
- महिलाओं को उचित सम्मान नहीं मिलता।
- बाल-विवाह और उत्तर जीविता जैसी समस्याएँ हैं।

- **आर्थिक क्षेत्र**

- महिलाओं और पुरुषों के बीच वेतन में अंतर होता है।
- औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम वेतन मिलता है।

- **राजनैतिक क्षेत्र**

- चुनाव में महिलाओं को प्रत्याशी के रूप में टिकट न देना।
- दल के प्रमुख पदों पर महिलाओं की नियुक्ति न देना।

महिलाओं की स्थिति में असमानता के कारण –

- **आर्थिक कारण**

- महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम वेतन देना।
- महिलाओं की कार्यरत दर कम होना।
- महिलाओं के रोजगार की अन्डर-रिपोर्टिंग।

- **राजनैतिक कारण**

- चुनाव में महिलाओं को प्रत्याशी के रूप में टिकट न देना।
- दल के प्रमुख पदों पर महिलाओं की नियुक्ति न देना।

- **शैक्षणिक कारण**

- महिलाओं की शिक्षा का स्तर पुरुषों की तुलना में कम होना।

- **लिंग भेद**

- लिंग भेद की वजह से महिलाओं में कम वेतन मिलता है और उन्हें वेशिष्ट पदों से बाहर रखा जाता है।

- **यौन उत्पीड़न**

- कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

- **देखभाल की जिम्मेदारी**
 - देखभाल की जिम्मेदारी के कारण महिलाएँ प्रबंधन और वरिष्ठ भूमिकाओं में कम होती हैं।
- **लिंग भेद की प्रथाएँ**
 - लिंग भेद की प्रथाएँ और धारणाएँ महिलाओं को पुरुषों से पीछे की ओर धकेलती हैं।
- **रूढ़ीवादी मान्यताएँ**
 - रूढ़ीवादी मान्यताओं के कारण महिलाओं को ऐसी भूमिका दी जाती है जिसके लिए रूढ़ीवादी रूप से 'स्त्री' कौशल की जरूरत होती है।
- **संगठनात्मक संरचना**
 - बहुसंख्यक लिंग द्वारा संचालित संगठनात्मक संरचनाओं में लैंगिक असमानता ज्यादा होती है।
- **सत्ता असंतुलन**
 - सत्ता असंतुलन के कारण लैंगिक असमानताएँ ज्यादा बढ़ती हैं।

उद्देश्य

शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों में कार्यरत महिलाओं के प्रति असमानता की स्थिति का अध्ययन
शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत महिलाओं के प्रति असमानता की स्थिति का अध्ययन –

निष्कर्ष

- शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों में कार्यरत पुरुषों की संख्या अधिक है तुलना में महिलाओं के।
- कार्यरत स्थल पर महिला एवं पुरुष के प्रति व्यवहारात्मक पक्षपात देखा जाता है।
- महिला पुरुष के कार्य विभाजन में भी असमानता देखी जाती है।
- अशासकीय संस्थानों में महिला एवं पुरुष के वेतन में असमानता पायी जाती है।
- सभी कार्यस्थलों पर लैंगिक असमानता को अत्यधिक महसूस किया जाता है।

सुझाव

- महिलाओं की आत्मसुरक्षा के लिए संस्थानों में कार्यशाला चलाई जानी चाहिए।
- अशासकीय संस्थानों में महिलाओं को समान वेतन अधिकार प्रदान करना चाहिए।
- कार्यस्थल पर लैंगिक असमानता को खत्म करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए।
- कार्यस्थल पर महिला एवं पुरुषों को समान अवसर प्रदान करने चाहिए।
- जागरूकता अभियान चलाना।
- विशेष मुद्दों पर संसाधन या समर्थन लेख भेजना।
- लोगों को अन्य स्थलों पर जाने के लिए संकेत देना जहाँ से उन्हें बाहरी सहायता मिल सकती है।
- कम प्रतिनिधित्व वाले कर्मचारियों के लिए मंच और सुरक्षित स्थान या म्द प्रदान करना।
- औपचारिक शिकायतों के निपटान से संबंधित प्रक्रियाओं को अधिक गहन और निष्पक्ष बनाना तथा परिणामों को अधिक गंभीर और परिभाषित करना।
- यह सुनिश्चित करना की नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन व्यवसाय में सभी द्वारा किया जाए चाहे वह कोई भी हो।
- कार्यस्थल में सुधार के लिए जो भी प्रगति चाहे उसके बारे में अधिक पारदर्शिता होने के लिए डेटा का उपयोग करना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. आहुजा, राम एवं आहुजा मुकेश. (2000). "सामाजिक समस्याएँ : रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृ.सं. -158-160
2. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन 2019-2021
3. कपूर, प्रमिला. (2006). "कामकाजी महिलाएँ एवं समस्याएँ", राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, पृ.सं. -112-118
4. ग्लोबल जेण्डर रिपोर्ट, 2015
5. <https://cn.wikipedia.org>.
6. <https://www.wgea.gov.au>.

